राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1960/2024

संजय सुखवाल पुत्र श्यामलाल सुखवाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी जदाना, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव (जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री परवेज़ खान मोयल

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

27/02/2024

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक 5) के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सरपंच, ग्राम पंचायत जदाना, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के पद से निलंबित कर दिया गया है।

3. वर्तमान रिट याचिका में संक्षेप में उल्लेखित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ का सरपंच चुना गया था। याचिकाकर्ता को सरपंच के रूप में काम करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 301/2023 दिनांक 03.12.2023 के अनुसरण

में गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसे 2,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसरण में उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया था और अंततः इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 16.01.2024 के आदेश के तहत उसे जमानत दे दी गई। याचिकाकर्ता को दिनांक 24.01.2024 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि उसके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (जिसे आगे 'नियम 1996' कहा जाएगा) के नियम 22 (2) के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए और उसी तारीख को याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र (अनुलग्नक 4) दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 24.01.2024 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दिनांक 24.01.2024 के निलंबन आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से दलील दी कि प्रतिवादियों ने जल्दबाजी में कार्यवाही की है क्योंकि याचिकाकर्ता को 24.01.2024 को नोटिस जारी किया गया था और उसी दिन आरोप पत्र दायर किया गया था और निलंबन का आदेश भी 24.01.2024 को ही जारी किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1996 के नियम 22 के उपनियम (1) का सहारा नहीं लिया गया था और इसलिए, जारी किया गया निलंबन आदेश मनमाना, अवैध और अनुचित है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और 24.01.2024 के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया जाए।

5. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और दिनांक 24.01.2024 के आक्षेपित आदेश सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

6. वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, ग्राम पंचायत जादाना, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के सरपंच के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, 2,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एफआईआर संख्या 301/2023 के पंजीकरण के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था और उसे तब तक कारावास में रखा गया जब तक कि उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 16.01.2024 के आदेश के तहत जमानत नहीं दे दी गई।

7. नियम 1996 के नियम 22 के उप-नियम 1 और 2 इस प्रकार हैं:

> "(1) धारा 38 की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई कार्रवाई करने से पहले, जहां राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रारंभिक जांच करवाने और एक महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकती है।

(2) यदि पूर्वोक्त या अन्यथा प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय है कि धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई आवश्यक है, तो राज्य सरकार निश्चित आरोप तय करेगी तथा उन्हें पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को लिखित रूप में ऐसे ब्यौरे सहित संसूचित करेगी, जैसा आवश्यक समझा जाए। उन्हें एक महीने के भीतर लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा जिसमें आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, अपना बचाव यदि कोई हो तो बताना होगा और यह भी बताना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा रखते हैं।"

8. नियम निर्माताओं की मूल मंशा यह है कि यदि कोई शिकायत या कोई आरोप राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही करने से पहले तथ्यान्वेषण प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इस कानून का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाना या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत अधिकारी/पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले सरकार के संज्ञान में लाए गए तथ्यों का सत्यापन करना है और यदि ऐसी रिपोर्ट या उपयुक्त तथ्य राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके समक्ष लाई गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् नियम 1996 के नियम 22 के उप-नियम (2) का सहारा लिया जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो कुछ मामलों में गलती करने वाला अधिकारी इसके लिए अपना उचित स्पष्टीकरण दाखिल कर सकता है। संक्षेप में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, राज्य सरकार के पास संपूर्ण तथ्य होने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।

9. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय 2,40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और इसलिए, एफआईआर में बताए गए तथ्य साफ और स्पष्ट हैं और उनकी सत्यता या शुद्धता

का पता लगाने के लिए किसी भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, याचिकाकर्ता को डेढ़ महीने से अधिक समय तक कारावास में रहने के बाद इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता इस मामले में दर्ज एफआईआर में उल्लिखित घटना में शामिल था।

10. इस न्यायालय की राय में, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह याचिकाकर्ता के विरुद्ध नियम 22 के उप-नियम 2 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने से पहले नियम 1996 के नियम 22 के उप-नियम (1) का सहारा ले। चूंकि, याचिकाकर्ता दिनांक 24.01.2024 को नोटिस/आदेश सौंपने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था, इसलिए उससे प्रश्न पूछे गए और संभवतः उसने अपनी दलीलें पेश की हैं, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ऊपर वर्णित तथ्यात्मक विवरणों से इनकार करने की स्थिति में नहीं हो सकता था। इन परिस्थितियों में, नियम 1996 के नियम 22 के उपनियम (2) का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ता को जारी किया गया आरोप-पत्र न्यायोचित प्रतीत होता है और परिणामस्वरूप, धारा 38 उपनियम 4 के मद्देनजर, निलंबन आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक 5) पारित किया गया है।

11. इस न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि ऐसे मामलों में, जिनमें कोई पदाधिकारी या अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, नरम रुख अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए, किसी उचित मामले में, यदि तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अंतर्गत दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियम 1996 के नियम 22 के उप-नियम (2) का सहारा लिया जा सकता है। एक बेईमान अधिकारी या व्यक्ति किसी सहानुभूति और उदारता का हकदार नहीं है।

12. वैसे भी, याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है, जो कोई सजा नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को कार्यस्थल से दूर रखा गया है, ताकि वह जांच की कार्यवाही को प्रभावित न कर सके और चूंकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को रिश्वत की बड़ी राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और तथ्य यह है कि वह 48 घंटे से अधिक समय तक सलाखों के पीछे था, इसलिए निलंबन का आदेश अनिवार्य था।

13. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।